न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 200/2022

दायर दिनांक–14.10.2022

1. मेहर सिंह पुत्र श्री झाबर सिंह जाति जाट निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–वादी

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र मूलाराम
2. श्रवणी देवी पत्नी मूलाराम जाति मेघवाल निवासीगण खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंन्झुनू।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री सज्जन कुमार चाहर**
वकील प्रति. :– **श्री सुरेन्द्र कुमार भर्रा**

दावा बाबत घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकॉर्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 05.05.2023

वादिगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– ग्राम खिरोड़ पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 195 पुराना 156 के अर्न्तगत भूमि खसरा नम्बर 2380/341 रकबा 0.66 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.66 है0 भूमि अवस्थित है जो कि वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से दर्ज है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि वादी के पिता झाबर पुत्र चतरू के नाम से सम्वत् 2015 से 2025 तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसके पुराना खसरा नम्बर निम्नानुसार है:– खसरा नम्बर 282 रकबा 1.06 है0 के पुराना खसरा नम्बर 623 जिसके पुराना खसरा नम्बर 336 व 336 के वर्तमान खसरा नम्बर 341 रकबा 1.06 है0 भूमि है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड वादी के पिता झाबर पुत्र चतरू के नाम से दर्ज था परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर को सम्वत् 2044 में पैमाईश के समय हुक्माराम पुत्र नत्थू जाति मेघवाल के नाम दर्ज कर दिया जिसमें से 0.40 है0 भूमि आवासीय रूपान्तरण करवाकर वादी ने अपने नाम दर्ज करवा ली थी व खसरा नम्बर 341 में शेष बची 0.66 है0 भूमि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 2380/341 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है जो गलत दर्ज है जिसका राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने के लिए उक्त वाद श्रीमान की सेवामें में पेश है। वर्तमान खसरा नम्बर 2380/341 रकबा 0.66 है0 पर वादी का ही कब्जा काश्त है व पिछले सौ वर्षो से वादी के पूर्वज उक्त भूमि को काश्त करते थे। इसके बाद अब वर्तमान में वादी काश्त करते आ रहा है मौके पर हिस्से को लेकर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नही है तथा शांतिपूर्वक अपने हिस्से पर काबिज काश्त है परन्तु वादी का राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 2380/341 रकबा 0.66 है0 में नाम दर्ज करवाने के लिए व राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवान के लिए व अपने हिस्से की घोषणा बाबत उक्त वाद श्रीमान की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी द्वारा वाद पेश कर निवेदन है कि वाद स्वीकार किया जाकर वादी बहक प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे कि ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 195 पुराना 156 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं0 2380/341 रकबा 0.66 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.66 है0 में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। अन्य सिद्वि जो चाही जा[illegible] हो वह दिलवाई जावें।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने बाद अवलोकन दावा द[illegible]या गया। तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 [illegible] उपस्थित होकर ईकबालिया जबाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 03 [illegible] होने पर इनके ओर से कोई उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक[illegible]वाही अमल में लाई गई। प्र[illegible] की ओर से ईकबालिया जबाब व एकपक्षीय कार्यवाही हो[illegible] प्रकरण में विवाद्यक बनाये [illegible] आवश्यकता नही रह जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:57:35 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में स्वयं वादी मेहर सिंह पुत्र श्री झाबर सिंह जाति जाट निवासी खिरोड़ उपस्थित होकर चीफ का सपथ पत्र पेश किया तथा अपने वाद–पत्र के संबंध में प्रदर्श 1 मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2054 प्रदर्श 2 नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2046, प्रदर्श 3 नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2046, प्रदर्श 4, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 व 12 में नकल जमाबंदी आदि दस्तावेजात प्रदर्शित करवायें।

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)
नवलगढ

शहादत वादी पेश होने के पश्चात बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। बहस का मनन किया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार राजस्व ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 195 पुराना 156 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं0 2380/341 रकबा 0.66 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.66 है0 में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करना आवश्यक व न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण न्यायोचित होने से प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

:: **आदेश** ::

वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम राजस्व ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 195 पुराना 156 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं0 2380/341 रकबा 0.66 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.66 है0 में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 05.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (प्र. द्वि.)
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:57:35 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम
बईजलास नवलगढ़ दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत इश्तकरार हक
व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 200 / 2022 **(मेहर सिंह बनाम ताराचंद)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 05.05.2023 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 195 पुराना 156 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं0 2380 / 341 रकबा 0.66 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.66 है0 में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे जिन...........–............ मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–....... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.05.2023 को जारी की गई।

([illegible])
ए.सी.ई.एम. [illegible] नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	06.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	16.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:57:35 IST
Reason: SelfAttested